

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक २ बी.एस.एफ इंदौर



KENDRIYA VIDYALAYA NO 2 B.S.F. INDORE

स्थापना : 1986

पता: गांधीनगर राह

विजयनगर टाकरी इंदौर 452005

जिला: इंदौर

दूरभाष : 01931-2620447


Est:1986

Address: Gandhi Nagar Road

Bijasan Tekri Indore 452005

District: Indore

Tel:0731-2620447



Website: no2indore.kvs.ac.in, Email: kv2indore@yahoo.co.in, ppl.indoreno2bsf@kvs.gov.in

फा.सं.03/14/केविनं.2इंदौर/समिति / 350

दिनांक- 03.11.2023

संशोधित कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER (CORRIGENDUM)

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-1 दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-II/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के अनुपालन में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" की धारा-4(2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय क्र.2 बीएसएफ इंदौर कार्यालय के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु "आंतरिक शिकायत समिति" का निम्नानुसार गठन किया गया था।

अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केंद्रीय विद्यालय क्र.2 बीएसएफ इंदौर की अनुशंसा पर निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है-

In compliance with the Letter No. F.11-55/2000-KVS(Vigilance)/Part-1 dated 03.06.2015 and Order No. F.11-55/2000-KVS(Vigilance)/Part-II/1122-25 dated 05.03.2019 of Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) New Delhi in compliance with the provisions and guidelines contained under section-4(2) of "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013" from 09.12.2013 "Internal Complaints Committee" has been constituted as follows for settlement of complaints received in the office of BS Kendriya Vidyalaya No.2 BSF Indore.

On the recommendation of the Chariman, VMC, KV No.2 BSF Indore the committee is reconstituted as follows-


क्र. / S.No.	समिति में धारित पद / Post held in Committee/	सदस्यों के नाम एवं पदनाम सहित / Name of Members along with designation	कार्यक्षेत्र / Jurisdiction
1	पीठासीन अधिकारी / Presiding Officer	श्रीमती रानी डांगे, सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / Mrs. Rani Dange, Asstt. Commissioner, KVS RO Bhopal	केवी नंबर 2 बीएसएफ इंदौर में पीजीटी स्तर तक के अधिकारियों के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना। To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at KV No.2 BSF Indore upto the level of PGT.
2	महिला सदस्य / Female Member	श्रीमती कीर्ति जोशी, पीजीटी (रसायनशास्त्र), के.वि. क्र.2 इंदौर / Mrs. Keerti Joshi, PGT (Chemistry), KV No.2 Indore	
3	पुरुष सदस्य / Male Member	श्री चंद्रशेखर राठौर, प्रधानाध्यापक, के.वि. क्र.2 इंदौर / Mr. Chandra Shekhar Rathor, HM, KV No.2 Indore	
4	एनजीओ सदस्य / NGO Member	श्रीमती माया पाण्डेय, अध्यक्ष, वीवीएमडब्ल्यूएस, इंदौर / Mrs. Maya Pandey, Chairman, BBMWS, Indore	
5	अध्यक्ष, वि.प्र.स. द्वारा अनुशंसित सदस्य / Member recommended by the Chairman VMC	श्री तनुज दीक्षित, अधिवक्ता, इंदौर उच्च न्यायालय / Mr. Tanuj Dixit, Advocate, Indore High Court	

टिप्पणी/Note:- 1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।/

The tenure of the Presiding Officer and the members of the Committee shall not exceed three years from the date of issue of the order.

2. "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये। /

In order to ensure effective implementation of the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013", the Committee shall investigate complaints of the nature defined in the Act strictly in the prescribed chronology and procedure issued by the Government of India from time to time. To be done as per the guidelines.


प्रचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय क्र.2, बीएसएफ, इंदौर /
KV NO.2 BSF INDORE

वितरण:-

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य। / The Presiding Officer and all the members of the committee.
2. उपायुक्त, के.वि.सं. क्षे.का. भोपाल।/ The Deputy Commissioner, KVS RO Bhopal
3. प्रशासनिक अधिकारी, के.वि.सं. क्षे.का. भोपाल।/ Administrative Officer, KVS RO Bhopal
4. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, के.वि. क्र.2 बीएसएफ इंदौर / Chairman, VMC, KV No.2 BSF Indore